समक्ष राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (कैम्प भोपाल)

नि/नि 9065-PBR प्रकरण क्रमांक /2016

मेहरबान सिंह आ. श्री परसराम उईके
निवासी सेमरा, तहसील हुजूर
जिला भोपाल ——— आवेदक

विरूद्ध

1/ स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा. लिमिटेड,
द्वारा संचालक श्री धीरेश निगम
आत्मज स्व. श्री सुंदरलाल निगम,
आयु 54 वर्ष, पता ए–5, यशोदा विहार,
चूना भट्टी, भोपाल

2/ कलेक्टर,
पुराना सचिवालय, भोपाल

3/ श्री सुधीर सिंह कुशवाह,
तहसीलदार
तहसील हुजूर जिला भोपाल

4/ श्री अरविंद दुबे, राजस्व निरीक्षक
मंडल–3, तहसील हुजूर
जिला भोपाल ——— अनावेदकगण

आवेदन पत्र अतंर्गत धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :–

1/ यह कि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नंबर 528 और 538 रकबा 0.800 हेक्टेयर अर्थात 2.00 एकड़ भूमि ग्राम कालापानी प.ह. नंबर 31, तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है।

2/ यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 135/अ–12/13–14 दर्ज कर दिनांक 3/7/2014 को सीमांकन संपन्न किया गया था जिसके विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3749–पी.बी.आर./14 माननीय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदक को एकपक्षीय करते हुये दिनांक 12/2/2015 को आदेश पारित किया जाकर सीमांकन दिनांकित 3/7/2014 निरस्त कर दिया गया था तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया गया था कि समस्त हितबद्ध व्यक्तियों एवं पड़ौसी कृषकों को विधिवत् सूचना दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करें। इतना ही नहीं उक्त आदेश में यह भी लिखा गया है

सहि॰
[illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक MISS 9165-अप/16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.6.2016 [signature]	अनावेदक-4 ने स्वयं उपस्थित होकर बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन हो गया है। अतः प्रकरण निरर्थक हो जाने के कारण समाप्त किया जाता है। [signature] अध्यक्ष	[signature] अनावेदक-4

[कृ. प. उ.